

**झारखण्ड सरकार**  
**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

प्रेषक,

**एल० खियांगते,**  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

**उपायुक्त,**  
खूँटी/राँची/सिमडेगा/देवघर/रामगढ़/कोडरमा/गढ़वा/लातेहार/  
प० सिंहभूम, चाईबासा/गुमला/हजारीबाग/चतरा/सरायकेला-खरसावाँ।

राँची, दिनांक- / /2024 ई०।

**विषय :-** स्थापना व्यय बजटशीर्ष-2055-पुलिस-110-ग्राम पुलिस-01-चौकीदार-दफादार स्थापना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निधि का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वेतन इकाई में **रु० 14,06,11,491/-** (चौदह करोड़ छः लाख ग्यारह हजार नौ सौ इक्यानवे रुपये) मात्र एवं वर्दी इकाई में **रु० 24,52,500/-** (चौबीस लाख बावन हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की राशि चौकीदार-दफादार के वेतन एवं वर्दी भुगतान हेतु निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

| क्र० | जिला का नाम         | वेतन मद में आवंटित राशि (रु० में)   | वर्दी मद में आवंटित राशि (रु० में)                        | अभ्युक्ति (जिलों से प्राप्त अधियाचना) |
|------|---------------------|---|---|---------------------------------------|
| 1    | खूँटी               | 37,11,138/-   | -   | पत्रांक-62, दि० 01.02.2024            |
| 2    | राँची               | 2,91,96,000/-   | 8,17,500/-  | पत्रांक-03, दि० 05.02.2024            |
| 3    | सिमडेगा             | 20,13,612/-   | 3,07,500/-  | पत्रांक-30, दि० 27.01.2024            |
| 4    | देवघर               | 1,57,00,620/-   | -   | पत्रांक-245, दि० 10.02.2024           |
| 5    | रामगढ़              | 1,36,00,000/-   | -   | पत्रांक-70, दि० 10.01.2024            |
| 6    | कोडरमा              | 57,50,000/-   | 4,37,500/-  | पत्रांक-94, दि० 10.02.2024            |
| 7    | गढ़वा               | 1,02,26,502/-   | 3,92,500/-  | पत्रांक-1430, दि० 20.12.2023          |
| 8    | लातेहार             | 25,00,000/-   | -   | पत्रांक- 09, दि० 08.01.2024           |
| 9    | प० सिंहभूम, चाईबासा | 2,51,70,444/-   | 45,000/-  | पत्रांक-216, दि० 18.11.2023           |
| 10   | गुमला               | 1,36,89,220/-   | -   | पत्रांक-36, दि० 14.10.2023            |
| 11   | हजारीबाग            | 66,61,237/-   | -   | पत्रांक-319, दि० 23.02.2024           |
| 12   | चतरा                | 51,34,042/-   | -   | पत्रांक-97, दि० 26.02.2024            |
| 13   | सरायकेला-खरसावाँ    | 72,58,676/-   | 4,52,500/-  | पत्रांक-228, दि० 29.02.2024           |
|      | <b>कुल :-</b>       | <b>14,06,11,491/-</b><br>(चौदह करोड़ छः लाख ग्यारह हजार नौ सौ इक्यानवे रुपये) | <b>24,52,500/-</b><br>(चौबीस लाख बावन हजार पाँच सौ रुपये) |                                       |

2. उक्त राशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन मद में स्थापना व्यय बजट शीर्ष "2055-पुलिस-110-ग्राम पुलिस-01-चौकीदार-दफादार स्थापना-01-वेतन एवं भत्ते-01-वेतन" विपत्र कोड-22S20550011001000101 एवं वर्दी मद में स्थापना व्यय बजट शीर्ष "2055-पुलिस-110-ग्राम पुलिस-01-चौकीदार-दफादार स्थापना-03-प्रशासनिक व्यय-34-वर्दी" विपत्र कोड- 22S20550011001000334 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।
4. उक्त राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जाएगी।
5. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के वेतन एवं वर्दी भुगतान हेतु किया जाएगा।
5. जिले के उपायुक्त अपने अधीनस्थ कार्यालयों को राशि का उप आवंटन चालू वित्तीय वर्ष में यथाशीघ्र करेंगे। उपायुक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चौकीदार-दफादार को वेतन का भुगतान नियत समय पर होगा।
6. आवंटित राशि का व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर राशि के अधियाचना-पत्र के साथ पूर्व में आवंटित राशि का व्यय प्रतिवेदन भेजना आवश्यक होगा।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संघारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली/बचत की राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यार्पित करने की कार्रवाई करेंगे।
9. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि० (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
10. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा।
11. गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
12. लाभुक को बकाया भुगतान संबंधी कार्रवाई में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(एल० खियांगते)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :- 04/विविध (चौ०दफा०आ०)/508/2020 ...../ राँची, दिनांक- / /2024 ई०।  
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :- 04/विविध (चौ०दफा०आ०)/508/2020 ...../ राँची, दिनांक- 06/03 /2024 ई०।  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 4N(CDA)/508/20/174

दिनांक - 06-Mar-2024

| क्रमांक | विपत्र कोड   | एक्सेस नं. | निकासी एवं व्ययन पदा.   | आवंटित राशि   |
|---------|--|------------|---|---|
| 1       | S 22 20550011001000101<br>2055 - पुलिस<br>00 - पुलिस<br>110 - ग्राम पुलिस<br>01 - चौकीदार-दफ़ादार स्थापना<br>00-NA<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>Establishment Expenditure<br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 91191      | KHNDADK01<br>LOKESH MISHRA<br>D.C.KHUNTI<br>01 - वेतन                     | 3,711,138.00<br>रुपये सैतीस लाख ग्यारह हजार एक सौ अडतीस |
| 2       | S 22 20550011001000101<br>2055 - पुलिस<br>00 - पुलिस<br>110 - ग्राम पुलिस<br>01 - चौकीदार-दफ़ादार स्थापना<br>00-NA<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>Establishment Expenditure<br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 91192      | RNPCOL140<br>RAI MAHIMAPAT RAY<br>D.C.RANCHI<br>01 - वेतन                 | 29,196,000.00<br>रुपये दो करोड इनकानवे लाख रुयानवे हजार |
| 3       | S 22 20550011001000101<br>2055 - पुलिस<br>00 - पुलिस<br>110 - ग्राम पुलिस<br>01 - चौकीदार-दफ़ादार स्थापना<br>00-NA<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>Establishment Expenditure<br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 91193      | SDGDAD014<br>AJAY KUMAR SINGH<br>DY.COMMISSIONER,<br>SIMDEGA<br>01 - वेतन | 2,013,612.00<br>रुपये बीस लाख तेरह हजार छः सौ वारह      |

योग:

रुपये तीन करोड उनचास लाख बीस हजार सात सौ पचास

34,920,750.00

क्रमिक योग:

(L. KHIANGTE)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

